

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातोन्मुखी उद्योग

1243. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत के निर्यातोन्मुखी उद्योगों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की मौजूदा भागीदारी दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) समान अवसर सुनिश्चित करने और व्यापार लाइसेंस, निर्यात प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी निविदाओं तक पहुंचने में हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में विशेष रूप से अजा/अजजा/अपिव व्यक्तियों के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की संख्या और निर्यात गतिविधियों में उनकी अनुवर्ती भागीदारी से संबंधित आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योगों और सीमांत व्यापारियों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापार और निर्यातोन्मुखी उद्योग को बढ़ावा देता है। किए गए उपायों के संबंध में विशिष्ट श्रेणीवार डेटा नहीं रखा जाता है।
